

**Duplicate Copy**

11-Nov-2020

**आदेश**

तिथि

Jan 31 2019

आदेश पर की

गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा पतराकुल्ही थाना झरिया

| खाता | प्लॉट | रकबा                          |
|------|-------|-------------------------------|
| 127  | 864   | 0 एकड़, 4.12 डिसमील, 0 हेक्टर |

का बिक्रेता

| विक्रेता का नाम   | रिश्ता | अभिभावक का नाम        |
|-------------------|--------|-----------------------|
| SRI JAGANNATH KAR | पिता   | LATE BHUPATI NATH KAR |

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 8061 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रैयत

| रैयत का नाम  | रिश्ता | अभिभावक का नाम |
|--------------|--------|----------------|
| भुपति नाथ कर | पिता   | महेन्दी कर     |
| हराधन कर     | पिता   | भक्तीपदो कर    |
| मिलन कर      | पिता   | विधाधर कर      |

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

राजस्व कर्मचारी एबम अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार दाखिल खारिज आवेदन को स्वीकृत हेतु अनुशंसा किया गया है अंत दाखिल खारिज आवेदन को स्वीकृत किया जाता है

अतः वार्षिक लगान 5 रुपये

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

स्वीकृत

किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :

PRAKASH KUMAR

अंचलाधिकारी धनबाद

